

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जबलपुर (म.प्र.)

आदेश

जबलपुर, दिनांक 28.07.2021

क्रमांक/क्यू/सी जे एम /21

सार्वजनिक अवकाश के दिनों में 03:00 बजे से 05:00 बजे तक रिमाण्ड कार्य निष्पादित करने हेतु निम्नानुसार अवकाश की जाती है। निम्न कॉलम में दर्शाए गए न्यायिक मजिस्ट्रेट नियत दिनांक पर अपने रटाफ सहित दोपहर 03:00 बजे से 05:00 बजे तक स्वयं के न्यायालय में उपस्थित होकर रत्नी न्यायालय के रिमाण्ड कार्य जो उक्त दिनांक को प्रस्तुत किए जायेंगे, निष्पादित करें।

क	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	अवकाश दिनांक	क	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	अवकाश दिनांक
1	श्री अकुर तिवारी	01.08.2021	10	श्री आशुतोष अग्निहोत्री	05.09.2021
2	सुश्री अदिती शुक्ला	08.08.2021	11	सुश्री सैफी ताजिर तमन्ना	10.09.2021
3	सुश्री रश्मि सातोष काकोटिया	15.08.2021	12	श्रीमती दीक्षा तनेजा	12.09.2021
4	सुश्री सैफी ताजिर तमन्ना	19.08.2021	13	सुश्री रापना कर्नोडिया	18.09.2021
5	सुश्री श्रद्धा पाडेय	20.08.2021	14	सुश्री राजना मालवीय	19.09.2021
6	श्री तमय सिंह	21.08.2021	15	श्री अमनदीप सिंह छाबडा	26.09.2021
7	श्री सौरभ मोरवागी	22.08.2021			
8	श्रीमती राजल पाहवा	29.08.2021			
9	श्री अजित दुबे	30.08.2021			


सिहोरा न्यायालय

मजिस्ट्रेट का नाम	अवकाश दिनांक	अवकाश दिनांक
श्रीमती सविता ठाकुर	01.08.21, 19.08.21, 22.08.21	05.09.21, 18.09.21
श्रीमती मृणालिनी सिंह	08.08.21, 20.08.21, 29.08.21	10.09.21, 19.09.21
सुश्री श्रुति अग्निहोत्री	15.08.21, 21.08.21, 30.08.21	12.09.21, 26.09.21

पाटन न्यायालय


मजिस्ट्रेट का नाम	अवकाश दिनांक	अवकाश दिनांक
श्री आदिल अहमद खान	01.08.21, 15.08.21, 20.08.21, 22.08.21, 30.08.21	10.09.21, 18.09.21, 26.09.21
श्री रवि साहू	08.08.21, 19.08.21, 21.08.21, 29.08.21	05.09.21, 12.09.21, 19.09.21

- यदि किसी कारणवश संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट जबलपुर नियत दिनांक को रिमाण्ड ड्रियूटी करने में असमर्थ रहते हैं और रिमाण्ड ड्रियूटी हेतु आपसी सहमति से परिवर्तित करते हैं, तो दोनों न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा हस्ताक्षरित सूचना समय पूर्व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रेषित करेंगे।
- यदि किसी कारणवश सूची में दर्शित उपरोक्त तिथि में सार्वजनिक अवकाश निरस्त कर उसके स्थान पर अन्य अवकाश तिथि निर्धारित की जाती है तो जिस तिथि को न्यायिक मजिस्ट्रेट की रिमाण्ड ड्रियूटी थी वह न्यायिक मजिस्ट्रेट घोषित नहीं अवकाश तिथि पर रिमाण्ड ड्रियूटी करेंगे।
- यदि किसी कारणवश सूची में दर्शित तिथि के अलावा अन्य सार्वजनिक अवकाश घोषित हो जाता है तो उस दिनांक को जिला न्यायालय जबलपुर में श्री सुरेश सिंह जमरा, न्यायिक मजिस्ट्रेट जबलपुर रिमाण्ड कार्य निष्पादित करेंगे, यदि किन्हीं कारणवश श्री सुरेश जमरा न्यायिक मजिस्ट्रेट जबलपुर भी अवकाश पर रहते हैं, तो श्रीमती ज्योति सिंह टेकाम, न्यायिक मजिस्ट्रेट जबलपुर, रिमाण्ड कार्य निष्पादित करेंगी एवं तहसील पाटन न्यायालय में श्री रवि साहू, न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं तहसील सिहोरा न्यायालय में सुश्री सृष्टि अग्निहोत्री न्यायिक मजिस्ट्रेट रिमाण्ड कार्य निष्पादित करेंगी।
- रिमाण्ड न्यायालय अपने न्यायालय की रिमाण्ड ड्रियूटी जिस दिनांक को, की जाती है, उसकी सूचना अपने न्यायालय के रिमाण्ड पैनल सूची के अधिवक्ताओं को प्रदान करें।


(यशवंत मालवीय)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जबलपुर

प्रतिलिपि-

- माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- श्री न्यायिक मजिस्ट्रेट जबलपुर/सिहोरा/पाटन।
- अध्यक्ष/सचिव जिला अधिवक्ता संघ जबलपुर एवं जिला अभियोजन अधिकारी जबलपुर।
- जिला न्यायिक मजिस्ट्रेट जबलपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।
- जूनियर सिरंटम एंनॉलिसिस जबलपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।


(यशवंत मालवीय)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट